न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 101/2025

1. बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री महादेव प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. मनोहर लाल फुलवारिया पुत्र श्री रेवडमल उम्र49 निवासी ग्राम पंचायत डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।

.....याचिकाकर्तागण/प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

...अप्रार्थी

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिकासंख्या 14446/2025 बनवारी लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 की अनुपालना मे।

निर्णय

दिनांक 17.12.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14446/2025 बनवारी लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 मे याचिकाकर्तागण/प्रार्थीगण का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर स्पीकिंग आदेश जारी करने हेतु लिखा गया है।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुरपीठ द्वाराअपने आदेश में यह अवधारित किया है कि याचिकाकर्ताअपनी याचिका को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करे। जिस पर जिला कलक्टर जस्टिस वाधवा कमेटी की सिफारिश (मुख्यतः पैरा स0 19) का अवलोकन कर आदेश पारित करें।
4. जस्टिस वाधवा कमेटी की पैरा सं0 19 इस प्रकार है–

   Number of ration cards attached to a shop has a direct bearing on the income of FPS. There should be rationalization of cards for each FPS. There is a need for rationalization of the number of beneficiaries attached to the FPS to make the shops financially viable. Each FPS should have form 500 to 1000 cards.If number of ration cards exceeds1000, the FPS should be bifurcated.
5. माननीय न्यायालय का आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हुआ किन्तु याचिकताकर्ताओं द्वारा किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में एक लीगल नोटिस दिनांक 9.9.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया गया था, जिसको आधार मानते हुए उक्त लीगल नोटिस का निस्तारण किया जा रहा है।
6. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने लीगल नोटिस दिनां[illegible]2025 द्वारा वाधवा कमेटी की सिफारिश एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 7.4.2010 की [illegible] आकर्षित कर नवीन दुकान बाबत आवेदन मांगे जाने के संबंध में [illegible] दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसका समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्ड की [illegible] अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुर्ननिधार[illegible] कर रिक्ति जारी करने [illegible] कथन किया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार खाध नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 26.12.2019 की ओर ध्यान आकर्षित कर उक्त विज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु आग्रह किया है।

7. उक्त संबंध मे जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा अपने जबाव पत्र कमांक:रसद/2025/1288 दिनांक 3.10.2025 मे अवगत करवाया कि श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1) खा0वि0/न्याय/2025/लूज दिनांक 23.04.2025 की अनुपालना मे ही ग्राम पंचायत डीडवाना मे विज्ञप्ति जारी की गई। ग्राम पंचायत डीडवाना मे राशन वितरण हेतु 3 उचित मूल्य दुकानदार (1 मनोहर लाल फुलवारिया– 823 राशनकार्ड/3828 यूनिट 2. बनवारीलाल–723 राशनकार्ड/3244 यूनिट 3. रामविलास –619 राशनकार्ड/2975 यूनिट) अधिकृत है। विभागीय परिपत्र दिनांक 07.04.2010 के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के नये सर्वे के अनुसार 500 राशनकार्ड पर नवीन दुकानों का सृजन कर रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान है। वर्तमान मे उक्त ग्राम पंचायत मे खाद्य सुरक्षा योजना के 2165 राशनकार्ड/10047 यूनिट है जो कि नवीन दुकान सृजित करने हेतु पर्याप्त है। नवसृजित दुकानों हेतु ही खाद्य सुरक्षा के 500 राशनकार्ड एवं 2000 यूनिट का प्रावधान है। अतः विभाग से प्राप्त हुई सूची के अनुसार ही डीडवाना मे ही दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है जो सही है।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लीगल नोटिस एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कियागया।

9. वाधवा कमेटी पीडीएस में सुधार एवं उसे पारदर्शी बनाये जाने के लिए बनाई गई थी जिसमें पीडीएस में लीकेज रोकने, गरीबों तक खाधान्न पहुँचाने एवं प्रौधोगिकी इस्तेमाल आदि की सिफारिशें की गई थी।

10. कमेटी द्वारा सन 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा महत्वपूर्ण परिपत्र जैसेकि दिनांक 7.4.2010, दिनांक 26.12.2019, दिनांक 27.3.2023 इत्यादि जारी किये गये जो कि इस प्रकरण से भी संबंधित है।

11. उक्त परिपत्रों में विभाग से यह निर्देश है कि नवसृजित दुकाने तब की जावें जब खाध सुरक्षा के 500 कार्ड से अधिक एवं 2000 यूनिट अधिक हों एवं पूर्व दुकानों का समायोजन/मर्जर इस प्रकार किया जावे कि कम से कम 100 राशन कार्ड उसमें हो।

12. प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तो कथन किया गया है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपनी विज्ञाप्ति में उक्त परिपत्रों का उल्लंघन किया है, किन्तु वह यह तथ्यों के आधार पर सिद्ध करने में असफल रहे है कि किस प्रकार से यह उल्लंघन किया गया है।

13. जिला रसद अधिकारी दौसा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डिडवाना में 2165 राशन कार्ड खाध सुरक्षा योजना के है एवं 10047 यूनिट है एवं वर्तमान में 3 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत है। अतः यह नई दुकान खोलने हेतु पर्याप्त है, जो कि विभागीय परिपत्र एवं नोर्म्स के अनुरूप है।

14. अतः प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/लीगल नोटिस में उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। आदेश की प्रति श्री लोकेन्द्र सिंह राव, Dy.GC जयपुर को भिजवायी जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 17 दिसंबर 20[illegible] को [illegible] मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्राकित जारी किया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा